रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268179
CG-DL-E-03122025-268179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5338] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947
No. 5338] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5521(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना संख्या का.आ. 5948 (अ), दिनांक 19 दिसंबर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56क एवं ख के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 22.850 तक लखनऊ बाईपास खंड के चार लेन के उपयोग और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 8+00 से किमी 137+970 तक लखनऊ-अयोध्या खंड के उपयोग के लिए अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 के नियम 3 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ,भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 5948 (अ) दिनांक 19 दिसंबर, 2022 (जिसे आगे "उक्त अधिसूचना" कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

(i) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 में, **"133.861 किमी की लंबाई वाली निवल सड़क खंड के लिए** " वाक्यांशों को निम्नलिखित वाक्यांशों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"132.42 किमी की लंबाई वाली निवल सड़क खंड एवं समतुल्य संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई के साथ) के लिए 14.460 किमी (1.446 किमी की लंबाई के साथ)"

(ii) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट **तालिका-2 के स्थान पर** निम्नलिखित **तालिका प्रतिस्थापित** की जाएगी :-

तालिका-2		
शुल्क प्लाज़ा (चैनेज) का स्थान	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**वह दर जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले के अहमदपुर गांव में एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 53.000 पर।	60.341 किमी [बाईपास की लंबाई (लागत> 10 करोड़) और संरचना की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले के रोनाही गांव में एनएच-28 (नया-27) के डिजाइन किमी 107.000 पर ।	72.074 किमी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"2क. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी संदेय होगा, जिसके लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्यकरण कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित किया जाएगा: -

तालिका-2क			
शुल्क प्लाज़ा (चैनेज) का स्थान	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**वह दर जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले के रोनाही गांव में एनएच-28 (नया-27) के डिजाइन किमी 107.000 पर ।	1.446^	14.460	चार या अधिक लेन के लिए तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^संरचनाओं का विवरण (> 60 मीटर लंबाई) निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**डिज़ाइन चैनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
(i)	82.819	83.756	4 लेन आरओबी	0.937
(ii)	122.923	123.038	4 लेन फ्लाई ओवर	0.115
(iii)	126.261	126.369	4 लेन फ्लाई ओवर	0.108
(iv)	126.811	126.919	4 लेन फ्लाई ओवर	0.108

(v)	130.361	130.469	4 लेन फ्लाई ओवर	0.108
(vi)	137.065	137.135	वीयूपी	0.070
			कुल	**1.446**

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2537.75 करोड़ रुपए है। [चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है]। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा। "

[फा. सं. परियोजना-34020(12)/2/2025-पीआईयू अयोध्या/ई-257036]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5521(E).—Whereas by the notification of the Government of India through the Ministry of Road Transport and Highways, number S. O.5948 (E), dated the 19th December, 2022 the Central Government has authorised the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor for the use of four lane of Lucknow Bypass section from design Km.0.000 to Km. 22.850 of National Highway number 56 A&B and Lucknow-Ayodhya Section from design Km 8+00 to Km 137+970 of National Highway number 28 (New NH-27) in the State of Uttar Pradesh;

Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 5948 (E) dated 19th December, 2022 (hereinafter referred to as "said notification"), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(i) In paragraph 3 of the said notification, the phrases **"for net road section length of 133.861 km**" shall be substituted with the following phrases:-

"for net road section length of 132.42 Km & for equivalent structures length (having length more than 60 meter) of 14.460 Km (having length of 1.446 Km)"

(ii) In the said notification, for **Table-2** specified under Serial No. 1, the following **Table** shall be substituted:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Design Km 53.000 of the NH-28 (New NH-27) at Ahmedpur Village of Barabanki District in Uttar Pradesh State.	60.341 km [Excluding length of Bypass (Costing>10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1
At Design Km 107.000 of NH-28 (New-27) at Ronahi Village of Ayodhya District in Uttar Pradesh State.	72.074 Km [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1

(iii) In the said notification, after Serial No. 2, the following Serial number shall be inserted, namely;-

"2A. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-2A			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in Km)**	**Rate at which fee is payable**
At Design Km 107.000 of NH-28 (New-27) at Ronahi Village of Ayodhya District in Uttar Pradesh State.	1.446^	14.460	100% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above

^The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sr. No.	**Design Chainage**		**Type of structure**	**Length (in Km)**
	From Km	**To Km**		
(i)	82.819	83.756	4 Lane ROB	0.937
(ii)	122.923	123.038	4 Lane Fly Over	0.115
(iii)	126.261	126.369	4 Lane Fly Over	0.108
(iv)	126.811	126.919	4 Lane Fly Over	0.108
(v)	130.361	130.469	4 Lane Fly Over	0.108
(vi)	137.065	137.135	VUP	0.070
			Total	**1.446**

"

(iv) In the said notification, Serial No. 10 shall be substituted with the following:-

"10. The estimated capital cost of the project is Rupees 2537.75 crore. [The capital cost is subjected to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised."

[F. No. PROJ-34020(12)/2/2025-PIU Ayodhya /E-257036]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.03 14:42:08 +05'30'